कार्यालय, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 0771- 2443297 / Fax No. 0771 – 2443596
E-mail Address : scert_raipur@yahoo.co.in

ई.सी.सी.ई. हेतु अधिगम सामग्री क्रय के लिए निविदा सूचना

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 877 दिनांक 29.02.08

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर की ओर से निर्माताओं से ई.सी.सी.ई. हेतु अधिगम सामग्री (कुल 400 सेट) प्रदान करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं सामग्रियों की सूची अधोःहस्तारकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर रू 1000 (अक्षरीय एक हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/नगद संचालक एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के नाम से जमा कर दिनांक 10.03.2008 के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि :–	10.03.2008	कार्यालयीन अवधि
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–	11.03.2008	दोपहर 3:00 बजे
निविदा खोलने की अंतिम तिथि :–	11.03.2008	दोपहर 4:00 बजे

स्थान– एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

संचालक

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मुल्य 1000/–

रसीद क्र. .... दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

1. निविदाकर्त्ता का नाम व पता . . . .
   (टेलीफोन सहित) . . . .
   . . ..
2. निविदाकर्त्ता के निर्माता होने . . . .
   का वैद्य पंजीयन जिला व्यापार एवं उद्योग . . . .
   केन्द/D.GS & D या NSIC का पंजीयन . . . .
   (नोटरी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति) . . . .
3. अ. निविदाकर्त्ता का वाणिज्यकर
   विभाग में पंजीयन (TIN.) की छायाप्रति . . . .
   ब. वेट या CST का वैध कर समाशोधन . . . .
   प्रमाण प्रत्र की छायाप्रति । . . . .
   स. आयकर विभाग का PAN . . . .
4. अर्नेस्टमनी का विवरण . . . .
   I. बैंक का नाम . . . .
   II. ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक . . . .
   III. राशि . . . .

मूल्य सूची

	राशि रुपये में	
परिशिष्ट एक में क्रमांक 01 से 45 तक दर्ज सामग्रियों का कुल मूल्य समस्त कर सहित	अंको में	शब्दों में . . . .

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर

मुहर सहित

आवेदनकर्त्ता की पात्रता संबंधी नियम/शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी चाहने वाले आवेदनकर्त्ता दिनांक .... से .... तक किसी भी कार्यालयीन दिवस तथा समय में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. किसी निर्माता के नाम से जारी टेण्डर को किसी दूसरे के नाम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
3. निविदा प्रपत्र मूल्य 1000.00 रूपये (एक हजार रुपये मात्र) है, जिसे परिषद् कार्यालय में नगद अथवा संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य मनीआर्डर/चेक द्वारा स्वीकर नहीं किया जायेगा।
5. डाक द्वारा टेण्डर हेतु आवेदन भेजने पर संभावित देरी या नुकसान की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। डाक व्यय भी आवेदनकर्त्ता को देना होगा।
6. निविदा प्रपत्र मोहर बंद लिफाफे में एक प्रति में जमा करना होगा।
7. प्राप्त निविदा प्रपत्रों के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर निगोशिएसन करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्टमनी के रूप में रुपये 20,000/– का अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के नाम जमा करना अनिवार्य होगा।
9. फर्म द्वारा जमा अर्नेस्टमनी उसके निविदा दर स्वीकृत होने की स्थिति में धरोहर/अमानत राशि में समायोजित कर ली जावेगी। दर स्वीकृत न होने पर संबंधित को 15 दिवस में वापस कर दी जायेगी।
10. निविदा आवेदन प्रपत्र सशर्त स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदा आवेदन प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि आवेदनकर्त्ता को इस दस्तावेज में वर्णित सभी शर्ते मंजूर है।
11. आवेदनकर्त्ता वाणिज्य कर अधिनियम के तहत जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. आवेदनकर्त्ता टर्न ओवर, CST निष्पादन प्रमाण पत्र, पेन नं., कम्पनी जीवित पंजीयन क्रमांक, स्थापना वर्ष आवेदन पत्र में संलग्न करें।
13. पंजीकृत निर्माता ही आवेदन करें।

14. चयनित अधिगम सामग्री के क्रयादेश की लिखित सूचना संबंधित निर्माता को दी जावेगी। अधिकृत निर्माता को क्रय आदेश की 3% राशि धरोहर के रूप में जमा करना होगा, जो किसी अनूसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर (छ.ग.) के नाम देय होगा। अधिकृत निर्माता को संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर (छ.ग) के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। इस हेतु अधिकतम तीन दिवस का समय दिया जायेगा। अनुबंध के निष्पादन संबंधी निर्धारित स्टाम्प शुल्क एवं अन्य व्यय अनुबंधकर्त्ता को वहन करना होगा।
15. संबंधित कार्य के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवादों के निराकरण हेतु मध्यस्थता तथा सुलह अधिमियम 1996 के अन्तर्गत सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग सोल आर्बीट्रेटर होंगे एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णय दोनो पक्षों को मानने हेतु बंधकारी होंगे। इस अनुबंध से उद्भूत होने वाले समस्त विवाद छत्तीसगढ़ न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता के अधीन होगे।
16. टूटी–फूटी अधिगम सामग्री स्वीकार नहीं होंगी। सामग्री निर्धारित नमूने के अनुसार स्वीकार्य होगी।
17. सामग्री राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर रायपुर में स्वयं के व्यय पर पहुंचाना होगा।
18. आवेदक को सेम्पल के लिए प्रत्येक सामग्री की सूची के साथ सामग्री प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के साथ सेम्पल के रूप में परिशिष्ठ 1 अनुसार सभी 1 से .... तक सामाग्री सेम्पल के रूप में जमा करना आवश्यक है।
19. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत सेम्पल की सामग्री में से ही चयन समिति द्वारा अधिगम सामग्री चयन की जावेगी। चयन समिति द्वारा चयनित अधिगम सामग्री का ही क्रयादेश संबंधित निर्माता को जारी किया जायेगा।
20. एक ही निविदाकर्त्ता से पूरी सामग्री क्र ⸝य किया जाना आवश्यक नहीं है।
21. निविदा की शर्तो में से पूर्ण या आंशिक परिवर्तन का अधिकार संचालक परिषद् को होगा।
22. निर्माता को आदेशित अधिगम सामग्री की आपूर्ति उनके द्वारा प्रस्तुत सेम्पल के अनुसार ही करनी होगी। प्रस्तुत सेम्पल से क्रय आदेश के बाद प्रदायित सामग्री

की गुणवत्ता, साईज, आदि निम्न गुणवत्ता की पाए जाने पर प्रदायित सामग्री अस्वीकृत कर धरोहर राशि भी आंशिक अथवा पूर्ण जब्त कर ली जायेगी।

23. आदेशित सूची के अनुसार सामग्री की आपूर्ति, आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर करना आवश्यक होगा, अन्यथा आपूर्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा एवं अनुबंधकर्त्ता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

24. पूर्ण सामग्री प्रदाय उपरांत क्रय समिति द्वारा सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण पश्चात देयक का 80% भुगतान पूर्ण सामाग्री प्राप्ति के दिनांक से 90 दिवस के पश्चात किया जायेगा। इस अवधि में सामाग्री के संबंध में विपरीत टीका–टिप्पणी की दशा में रोकी गयी राशि राजसात की जा सकती है। शेष 20% का भुगतान सामग्री उपयुक्त पाए जाने पर किया जाएगा।

25. परिशिष्ठ 1 (एक) के अनुसार सामग्री की दरें प्रस्तावित करना होगा।

26. संलग्न परिशिष्ठ 1 (एक) में उल्लेखित सामग्री में से समिति द्वारा चयनित तथा परिषद् की आवश्यकतानुसार क्रय आदेश पृथक से दिया जाएगा।

27. संलग्न परिशिष्ठ 1 (एक) में उल्लेखित सामग्री में से समिति द्वारा चयनित तथा परिषद् की आवश्यकतानुसार क्रय आदेश पृथक से दिया जाएगा।

28. निविदाता के निम्मतम दर के साथ गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही मान्य किया जाएगा।

29. आवेदनकर्त्ता द्वारा नमूने के रूप में प्रदत्त सामग्री वापस नहीं की जावेगी।

30. परिशिष्ट क्र. 01 में 01 से .... तक सामग्री की सूची को एक किट माना जायेगा। इसी आधार पर 400 आंगनबॉड़ी के लिए 400 किट क्रय किया जावेगा।

31. 400 कीट्स की संख्या आवश्यकता के अनुसार एवं बजट उपलब्धता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।

32. एस.सी.ई.आर.टी, रायपुर कार्यालय शंकर नगर में निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक 10.03.08 समय दोपहर 3:00 बजे तक, तथा निविदा उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे खोली जा सकेगी।

33. शासकीय अवकाश की दशा में निविदा अगले दिनांक को खोली जा सकेगी।

(संचालक, परिषद् द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक